

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-90/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सुजीत कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर का दिनांक-25.01.2025 से 26.01.2025 तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

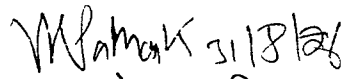
ज्ञापांक-2/आर-90/2025-

21/4(2) पटना, दिनांक 1/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० सुजीत कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।स


सरकार के उप सचिव।
1